

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 31, गुरुवार, शके 1948- मई 21, 2026 Vaisakha 31, Thursday, Saka 1948- May 21, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आजायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 04, 2025

संख्या प.9(26)राज-1/2025-24972:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, जालोर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि जालोर जिले की तहसील जालोर, बागोड़ा, भीनमाल एवं चितलवाना के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरा/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-9 के अनुसार है :-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी K M	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है. में)
			ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	क्षेत्रफल (है. में)	ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	क्षेत्रफल (है. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जालोर / जालोर	उम्मेदा बाद / सायला	गोल (उम्मेदा बाद) LG Code 89261	11874	2781.4800	रामनगर धोरा Ramnagar Dhora	4850	1168.6500	1	1612.83
2	जालोर	लेटा / जालोर	रणछोड़ नगर LG Code 89288	1323	688.7800	जलन्धरनाथ नगर Jalandhar nath	253	283.6622	1	405.1178

						Nagar				
3	जालोर / बागोडा	नया बाडा / बागोडा	जाणियों की ढाणी LG Code 89487	1492	695	गोरसियों की ढाणी Gorsiyi Ki Dhani	375	177.1 200	3	517.88
4	जालोर / चितलवा ना	सेसावा / चितलवा ना	सायर का कोसिटा LG Code 89496	655	729. 7600	राणा तालब नगर Rana Talab Nagar	381	322.7 64	5	546.50 4
			कागोडा LG Code 89497	872	1004 .400 0				5	864.89 2
5	जालोर / चितलवा ना	खेजडियाली / चितलवा ना	शिवगढ़ LG Code 89540	1311	1216 .83	माधासर Madhasar	305	194.7 62	4	1022.0 68
6	जालोर / भीनमाल	पूनासा / भीनमाल	पूनासा LG Code 89261	7233	3059 .420 0	बालाजी नगर Balaji Nagar	1892	1337. 6000	3	1378.8 3
7						चारणियों की ढाणी Charniyo Ki Dhani	1224	342.9 900	3	

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु जिला कलक्टर, जालोर को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।